तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **यशपालसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 46/2023	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-02-2023	अपीलार्थी यशपालसिंह मार्फत डॉ जयसिंह राठौड़, पता नसरानी सिनेमा के पीछे, प्रथम ए रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.12.2022 में (1) जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर के आदेश कमांक राजस्व/परिवर्तन/आबंटन/2404 दिनांक 25.06.1969 द्वारा ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 903/747 में 56 बीघा 10 बिस्वा भूमि आंवटन/संपरिवर्तन/रूपान्तरण की शर्ते पूर्ण नहीं किये जाने पर किये गये आवंटन निरस्त करने के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में प्रस्तुत अपील में जवाब प्रस्तुत करने हेतु संधारित संपूर्ण पत्रावली मय आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रस्तुत रिट याचिका व उसके प्रतिउत्तर में जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा प्रस्तुत जवाब की प्रमाणित प्रतिलिपि , से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी ने जरिये पत्रांक रेकर्ड/2023/35 दिनांक 12.01.23 द्वारा सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 182 दिनांक 15.02..2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा को धारा 5(4) के तहत कार्यालय पत्रांक 79 दिनांक 25.01.23 द्वारा प्रेषित करते हुए सात दिवस में सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्व अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है तथा धारा 5(5) के तहत प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देने की इस्तदुआ की। चूंकि चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा से अपेक्षित होने से अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि कि अपीलार्थी/प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर	

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)